मंडल की 16.6.2017 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय.

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गए निर्णय	विभाग / प्रभाग
1.	34	मंडल की 26 मई 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की दिनांक 26.5.2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का सुधारों / संशोधनों के साथ पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	35	सागर उपवन गार्डन के रखरखाव के लिए एआयएआय के साथ करारनामा का विस्तार.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
3.	36	सुपुर्दगी पूर्व सुविधाओं के लिए महिन्द्रा एवं महिन्द्रा को फेअर बेसिन गोदाम सं.3 में स्थान का आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
4.	37	लॅन्को विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड (LVTPL) - 2 x 660 मेगाव्हाटस् उच्च आपातकालिन ताप विद्युत संयत्र - मुंपोट्र में 12 माल प्रेषण.	विचार-विमर्श आस्थगित.	यातायात
5.	38	(i) निर्माण भवन, माझगांव के चौथे माले पर आयपीआरसीएल कारपोरेट कार्यालय के अंन्दर इण्डिया पोर्ट्स ग्लोबल प्रा. लि. (IPGPL) को 166.85 वर्ग मीटर क्षेत्र का आबंटन. (ii) आयपीआरसीएल कारपोरेट कार्यालय के लिए 7.5% पर्यवेक्षण प्रभारों की उगाही.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है	स्थापत्य
6.	39	पोर्ट सम्पत्तियों का बीमा - बीमा का नवीनीकरण.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का विस एवं मुलेअ का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त
7.	40	जहाजों की उत्पादकता तथा फेरा समय में सुधार करना.	ऊपर अभिलिखित चर्चा में संशोधित नुसार टिप्पणी के परिच्छेद 6, 7, 9 तथा 11 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
8.	41	2017-18 से तीन वर्षों के लिए मुंबई पोर्ट के अप्रोच चैनलों, टर्निंग सर्कलों, बाहरी घाटों, इंदिरा गोदी बेसिन, बंदर क्षेत्रों तथा लंगरगाहों में निकर्षण रखरखाव - प्राक्कलन तथा पात्रता मापदण्ड को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गए निर्णय	विभाग / प्रभाग
9.	42	विंच ड्रायवर तथा जीपीएम विंच ड्रायवर का पदनाम शिप क्रेन ड्रायवर के रुप से बदलना.	जैसे की उपरोक्त अभिलिखित चर्चा में संशोधित किया गया टिप्पणी के परिच्छेद 16 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है, बशर्ते कि, कार्रवाई की प्रक्रिया टिप्पणी के परिच्छेद 17 तथा 18 के अनुसार हो.	यातायात
10.	43	मुंबई हार्बर में सिवरी फोर्ट तथा इलिफॅन्टा द्वीप के बीच रोपवे सेवा उपलब्ध कराने की तकनीक आर्थिक संभाव्यता अध्ययन के लिए परामर्श सेवा.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 (ii) तथा (iii) का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. परिच्छेद 9 (i) प्रस्ताव आस्थागित किया जाता है.	स्थापत्य
11.	44	"नियमित सेवा" विषय के संबंध में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 में संशोधन - संबंधी.	महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के साथ पठनीय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नती) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अन्तर्गत अनुलग्नक I, में यथा प्रस्तुत आरएसपी में प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित किया जाता है, बशर्ते कि , इसीकी धारा 124 (1) के अन्तर्गत सरकार की मंजूरी मिले	सामान्य प्रशासन
12.	45	मिनी बल्क वाहनों में बल्क फ्लाय ऐस की तटीय आवाजाही.	फ्लाय ऐस की सम्हलाई तथा फ्लाय ऐस की यांत्रिक सम्हलाई पर स्टीविडोरिंग प्रभारों की उगाही न करने हेतु यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
13.	46	मुंपोट्र पीरपॉव मॅनीफोल्ड के पीछे मुंपोट्र मॅनीफोल्ड मे 12" एनबी डब्लू 2 एवं डब्लू 3 पाइपलाइनों के वर्तमान संरक्षण तथा एचपीसीएल यार्ड में एचपीसीएल 24" एनबी सी 2 पाईपलाइन के बीच लगभग 200 मीटर लंम्बाई की छोटे अंतर्गत कनेक्शन की 20" एनबी पाईपलाइन की अनुमति.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है, बशर्ते कि , एजिस लॉजेस्टिक लि. से बिना विवादित बकाया की वसूली हो जहॉ तक विवादित बकाया का संबंध है इसका समाधान शीघ्र किया जायेगा.	स्थापत्य /संपदा

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गए निर्णय	विभाग / प्रभाग
14.	47	मुंबई पोर्ट के अन्दर सीमाशुल्क के याट्स का बरसात में संरक्षण.	दरमानों के अन्तर्गत सीमाशुल्क याट्स के लिए घाट भाडा प्रभारो, भंडारण प्रभारो आदि जैसे अन्य प्रभारो के छूट के लिए सीमाशुल्क का अनुरोध अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
15.	48	मुंपोट्र सम्पदा में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के आवासों का समेकन तथा सुधार.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को 'सैधांतिक' अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य
16.	49	"खाडी" तथा "संकरी खाडी" की तरह मुंबई के ईस्टर्न वाटरफ्रंट को "नॉन सी" के रुप में निर्धारित करने के लिए अध्ययन हेतु परामर्श सेवायें उपलब्ध कराने के लिए आयआयटी मद्रास की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
17.	50	नि. सं. ई. 10ए/2017- इंदिरा गोदी, मुंबई में वर्तमान मुंबई आंतरराष्ट्रीय यात्री टर्मिनल का आधुनिकीकरण.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 की निविदा समिति की सिफारीशें अनुमोदित की जाती है.	स्थापत्य
18.	51	पीर पॉव स्थित नव पीअर में पाइपलाइन बिछाना.	विचार-विमर्श आस्थगित.	यांत्रिकी
19.	52	गेटवे ऑफ इण्डिया से दूर समुद्र में मुंबई पोर्ट में तैरते रेस्तरां का संचालन.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 की निविदा समिति की सिफारिशें अनुमोदित की जाती है.	यातायात
